21.6.19	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित कथन, वांछित अनुतोष, जवाब अप्रार्थी एवं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात पर सम्यक गहन मनन अवलोकन किया।
	बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर विचार किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया।
	प्रार्थी का कथन है, कि साबिक खसरा नम्बर 636 रकबा 2.4114 हाल

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

उपखण्ड अधिकारी

नम्बर व तारीख अहकाम व हुक्म की में जाम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खसरा नं० 1180 रकबा 4 हेक्टर का राजस्व नक्शा साबिक नम्बर के मुकाबले छोटा पैमूद किया गया है। प्रकरण वर्णित उक्त भूमि प्रार्थी के लीज ऐरिया में स्थित है।	
	जवाब साकार का अवलोकन किया गया। जवाब साकार में प्रार्थना पत्र प्रार्थी में अंकित इस कथन पर स्वीकारोक्ति जाहिर की गई है, कि प्रकरण वर्णित भूमि का गत खसरा नम्बर की तुलना में हाल खसरा नम्बर का नक्शा छोटा बनाया गया है।	
	फर्द मिलान के अनुसार गत ख० नं० 736 के हाल 1180 पैमूद किया जाना साबित है। हाल साबिक नक्शों के मिलान तथा जवाब साकार के मुताबिक यह साबित होता है, कि साबिक के रूप आराजी 736 का नक्शा हाल 1180 के रूप में बनाया गया मगर साबिक के मुकाबले में छोटा पैमूद किया गया है।	
	जहाँ तक प्रकरण वर्णित भूमि पर दायरनामा नं० 185 के अनुसार ही भूमि के मृदा वर्गीकरण "बंजड़" दर्ज करने का अनुतोष है, तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रमाणित होता है, कि हाल खसरा नम्बर की भूमि की किस्म "बंजड़" ही दर्ज है। अतः इस अनुतोष को दिये जाने का कोई औचित्य नहीं रहने से इस अनुतोष को अस्वीकार किया जाता है।	
	परन्तु जहाँ तक राजस्व नक्शे में साबिक के मुकाबले हाल आकृति का तथ्य	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलमद हुक्म में
	है, तो साबिक ख0नं0 ७३७ की तुलना में हाल नं0 ११८० का नक्शा अपेक्षाकृत छोटा बनाया गया है। अतः दस्तावेजात के अवलोकन एवं अप्रार्थी की स्वीकृति की हद तक यह अनुतोष दिया जाना उचित पाया जाता है। अतः अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति की हद तक प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंशतः स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगंजमण्डी, ग्राम खुडेल की भूमि ख0नं0 साबिक ७३७ व हाल ११८० (साबिक व हाल) के नक्शे का मिलान करके तामील की कार्यवाही एक माह में करें। यदि प्रार्थी असंतुष्ट हो तो एक माह उपरान्त इस न्यायालय में चाराजोई हेतु स्वतंत्र होगा। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 21.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। 21/06 (नियमलाल मीणा) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Scanned by CamScanner